

**Mr. Deputy-Speaker:** They cannot be included.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** If they cannot be included, then, it is certainly quite a different matter. But if the rules allow, I do not object to other Members of the House also being there.

On the contrary, I am anxious that others should also come.

**Mr. Deputy-Speaker:** The other Ministers can attend, but these two Ministers, Shri Datar and Dr. M. M. Das, would be included.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** Certainly.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Her Highness Rajmata Kamlendu Mati Shah, Shrimati Jayashri Rajji, Shrimati Uma Nehru, Shri B. Ramchandra Reddi, Shrimati Tarakeshwari Sinha, Shri Nikunja Behari Chowdhury, Shrimati Ammu Swaminadhan, Shri A. M. Thomas, Shri Jaipal Singh, Sardar Amar Singh Saigal, Shri Upendranath Barman, Shri Fulsinhji B. Dabhi, Shrimati Anusayabi Bhaoroa Borkar, Shrimati Minimata, Shri Diwan Chand Sharma, Pandit Chatur Narain Malviya, Shri Mukund Lal Agrawal, Shri Mohanlal Saksena, Shri Hari Vinayak Pataskar, Shrimati Shivrajvati Nehru, Shrimati Sushama Sen, Shri Radha Raman, Shri Raghubir Sahai, Shri Bhakt Darshan, Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Datar and Dr. Mono Mohan Das with instructions to report by the 10th September 1956".

*The motion was adopted.*

#### CRIMINAL LAW AMENDMENT BILL

**Shri M. L. Agrawal:** You have allotted only three hours for this Bill, out of which one hour has already been spent. So it will be better if you allot some more time, because the Home Minister will take some time for reply and others also may speak.

**Mr. Deputy-Speaker:** Let us first proceed with the discussion. Then we will see.

**Shri D. C. Sharma (Hoshiarpur):** I congratulate the hon. Mover of this Bill on the very exhaustive survey that he has given of this problem. But the question is this: has he related his arguments and his facts and figures and his philosophy and his social outlook to the conditions of the country in which we are living? When I ask myself this question, I think that he has been referring to other countries and to other circumstances, but he has paid very scant heed to the conditions that we find in this country. I therefore think that what may be good for a country in Europe or in America need not be good for our country also.

Moreover, I find that the abolition of death penalty has not become so operative that we can take note of it. It has been abolished in a few countries, and they are small countries, and I do not know the circumstances which have led to the abolition of this death penalty in those countries. I have to look at this problem, as the Mover says, from the angle of the social needs and the angle of the social justice in this country. What are those? The hon. Mover of this Bill has said that the interests of a civilised society require that we should abolish death penalty. I ask myself this question: in what context has the word 'civilised' been used? Are you using this word in the same context in which Mussolini used it? When he went to invade Abyssinia, Mussolini said: 'We are going to civilise Abyssinia'. Is it being used in this context that we are marching forward in science and technology? Of course, we are marching forward in science and technology. But I have on the floor of this House listened to the answers which have been given by hon. Ministers about nuclear explosions and about the danger: which fall-outs have produced. A learned Professor of Calcutta University has told us that the fall-outs are going to have genetic

effects on man, on human society and also on other things. Sir, we may be civilised in that sense also because our technological progress has been very high. But I would ask my hon. friend what are the criteria which he has used to think of society—I do not think he has referred particularly to Indian society; he has referred to society in general—what are the criteria that he wants to use to describe a society civilised? I do not say that India is not civilised. We are highly civilised. I do not say that we do not have a very hoary civilisation. We have all that. We are proud of that. We are always rightly and legitimately singing the praises of that. That is all right. But civilisation is quite different from the social framework in which we are living today. The social framework may be a part of civilisation—a small part—but the whole of this problem has to be viewed in the light of the social framework in which we find ourselves today.

Some days back, I read a report of the Inspector General of Police in Delhi. Delhi is the metropolis of India, a very big city. And what did I find in that report? I found in that report that there were so many thefts, there were so many burglaries, there were so many murders and there were so many riots and there were so many dacoities. This is one aspect of our social framework; I do not want to say that this is the only aspect, but this is one aspect of our social framework. As you know, after the second world war, there has been a steep rise in the incidence of all kinds of crime. We have not been able to arrest that up to this time.

So when I look at it, I am not looking at it only from the point of India, but from the point of view of other countries also, and I am looking at it from the social framework point of view which we have here, I find that our society has not as yet arrived at

that stage of perfection where you can abolish the death penalty.

I have read this Bill and I find in it nothing but 'omit' 'omit' 'omit' 'omit'. There are so many clauses and sub-clauses and there is nothing but the use of the word omit. 'omit' 'omit'. I would say that the time has not yet come when we should abolish the death penalty because that will come about only when we become grounded in the principles of non-violence, when we become grounded in the principles of truth and when we become grounded in the principles of *ahimsa*. If we live in a non-violent, non-competitive and non-exploitative type of society, I think the death penalty will automatically be abolished. I believe that that is the goal towards which we have to move. But as long as competition is the law of life, as long as violence pervades our life and as long as *ahimsa* is not to be found there, I think this death penalty cannot be abolished. The hon. Member has said that from the abolition of whipping we should go to the abolition of the death penalty. I do not see the logic of it. I never thought that the abolition of whipping was the first step and the abolition of the death penalty was the next step. Of course, we have abolished whipping because that is a kind of barbarism. But we used to give whipping for small crimes, for small lapses from good behaviour or normal behaviour. But to base on the abolition of whipping an argument for the abolition of the death penalty, I would say, is not very logical.

What is the idea behind this death penalty? There are two types of criminals. There was a time when, in England, persons used to be hanged for stealing a thing which was worth only 6d. We have advanced and we have left that behind. But, punishment serves many purposes. Punishment is, I think, more than anything else deterrent. My friend says that it is not necessarily deterrent. I do not

[Shri D. C. Sharma]

know why it cannot be necessarily deterrent. It is the fear of death which, I think, keeps many persons from committing such crimes. It is the fear of the death penalty that prevents people from doing such things. If you abolish the death penalty, it means you make murder cheap, murder without tears, murder without fear of any punishment, murder without any dire consequences, without any fearful consequences. I do not think that can be the philosophy of our society at this time when it is in its present stage of evolution.

It has been said that death penalty inflicts a great deal of suffering upon the survivors of the person upon whom the penalty is inflicted. I agree that this kind of punishment means not only punishment for the person upon whom it is inflicted but also punishment for those having such proclivities. That you cannot get over. There is the individual aspect of punishment and there is also the social aspect of it. Both these have got to be taken into account. In fact, the social aspect of punishment is much more than the individual aspect. Many a time persons have been kept away from committing crime because they have thought of the social consequences of the act. If they had thought only of their own selves, they would have committed crimes. So, I believe, that we have to bring into being a society, we have to bring into being a social framework, we have to bring into being a set of social circumstances where murder becomes superfluous, where nobody would murder, where people would be able to keep their passions under control and where the incentive for bad work will be non-existent. We have to bring into being that kind of society. We have to work for the education of the people; we have to work for the enhancement of the social justice of the people. We have to work for giving people more social justice. We have to bring about that society and if we bring about that kind of socie-

ty there would be no desire on the part of anyone to commit any murder. But to think that you are doing something grand by abolishing the death penalty is not the right way of thinking.

One great English writer has said that vegetarians are sometimes the most ferocious beings. He said that in some contest I think sometimes humanitarians can also be very difficult persons to deal with. Humanitarians impulses are to be called into play but they should be allowed to go only up to a certain limit. If humanitarian impulses outrun the needs of the social situation, I think, they will lead to disaster. I would, therefore, say that with our social evolution—I am not speaking of India only but of the world—the abolition of this death penalty is not warranted.

**श्री जांगड़े** (बिलासपुर-रक्षित-ग्रन्थ-सूचित जातियाँ) : मैं इस विधेयक-कार्यविरोध करता हूँ। मुझे ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य के मन में यह बात बैठी हुई है कि मृत्यु-दंड के उन्मूलन से अपराधियों को सुघरने का मौका मिलेगा, क्योंकि वे किसी विशेष मनोदशा या मनःस्थिति में किसी विशेष परिस्थिति या वातावरण के वश में होकर, जो कि उनके वश क बाहर हो, और भावों की उत्तेजना में कोई दुष्कृत्य या जघन्य अपराध कर बैठते हैं। उनके विचार में अगर ऐसे अपराधियों को सुघरने का और फिर से मानव बनने का मौका दिया जाय, तो वे दोबारा समाज के सम्मानित और उपयोगी भ्रंग बन सकते हैं। माननीय सदस्य शायद यह समझते हैं कि आज के सम्य जगत में—आज के सम्य वातावरण में अगर मृत्यु-दंड को कायम रखा जाय, तो वह सम्यता के विपरीत समाज और मानव के लिए घातक और कलंक का कारण है।

माननीय सदस्य की शायद यह भी धारणा हो सकती है कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति इस दण्ड के शिकार होते हैं और ऐसा करना

न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वह यह भी कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसे आदमियों को मृत्यु-दंड दे दिया जाता है, जिन्होंने अपराध किया ही नहीं। मैं आज-कल के व्यवहार और आज-कल की परिस्थितियों की देखते हुए अपनी धारणा इस बिल के प्रस्तावक महोदय की धारणा से विपरीत पाता हूँ। यह ठीक है कि हम आदर्श की बात सोचते-सोचते अत्यन्त उदार और भावुक बन जायें और भावुक बन कर व्यवहारिकता की सतह से ऊपर उठ कर अपनी निगाहों को रखें, पर मैं समझता हूँ कि हमारी ये शुभ धारणाओं भविष्य में हम को धोखा देगी। दुनिया में और भारत में अभी भी ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, जिनकी आशा नहीं की जा सकती है। कई लोग तो इसके आदी हो जाते हैं और कठोर से कठोर अपराध कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हम अमुक अपराध को करेंगे, तो अधिक से अधिक हम को आजन्म कैद की सजा होगी और मेरे पड़ोसी, मेरे वकील मुझे बचाने में मेरी सहायता करेंगे और न्यायालय भी सदयता का व्यवहार करके हमको फांसी की सजा नहीं देगा और हमको केवल आजन्म कैद की ही सजा देगा। हमने देखा है कि बहुतेरे न्यायालयों में मरडर केसेज में ६५ प्रतिशत अभियुक्तों को आजन्म कैद की सजा होती है। उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। आप हिन्दुरतान के आज के नहीं पिछले बीस सालों के आंकड़े उठाकर देखें कि जिन लोगों पर कत्ल का जुर्म साबित हो गया है उनमें से कितनों को फांसी की सजा दी गयी है। हमने यह भी देखा है कि जिन लोगों को आजन्म कैद की सजा दे दी जाती है उनकी सजा शुभ अवसरों पर कम कर दी जाती है और माफ भी कर दी जाती है।

फर्ज कीजिये कोई बीस वर्ष का आदमी है और वह किसी को कत्ल करने का विचार करता है तो वह सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे बीस साल की सजा हो जायेगी अभी मेरी उम्र बीस साल है, सजा काटने के बाद भी मैं बीस साल और जिन्दा रह सकूंगा, और इस भावना के कारण वह कत्ल का जुर्म कर देता है।

हमने देखा है कि इस भावना के अधीन कुछ लोग औरों से बदला चुकाने का षडयंत्र रचते हैं और कत्ल करते हैं। ऐसे लोगों के दिल कठोर होते हैं। जब तक ऐसे आदमियों को हम कैपीटल पनिशमेंट (मृत्युदंड) नहीं देंगे तब तक हम देश में अमन और शान्ति कायम नहीं कर सकते।

आज हमारे न्यायालय भी सम्य जगत के वातावरण को देखकर अधिक उदार हो गये हैं। इस कारण अपराधी मन में यह समझ बैठे हैं कि अगर हम अपराध कर लेंगे तो हमारे वकील हमारी रक्षा कर लेंगे। आपको पता होगा, और हमारा भी यह अनुभव है कि इस कारण आज देश में ऐसे अपराध हो रहे हैं कि जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। आज केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास ऐसे प्रचुर साधन नहीं हैं कि वे इन जघन्य अपराधों का पता लगा सकें। यदि पता लग भी जात है तो कानून ऐसा पेशीदा है कि ऐसे अपराधियों को सजा दिलवाना कठिन होता है और अगर सजा दी भी गयी तो कठोर से कठोर अपराध करने पर भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता और अगर मृत्यु दंड दिया भी जाता है, तो हमने देखा है कि उच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से वह कम कर दिया जाता है यानी आजन्म कैद की सजा में बदल दिया जाता है या माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा आज न्यायालयों में अभियुक्त को शंका का फायदा इतना ज्यादा दिया जाता है कि अभियुक्त अक्सर बच जाता है। अगर बचाव पक्ष का वकील कहीं पर भी कंस में कोई कमजोरी बतला देता है और उसको साबित कर देता है तो मामला ठंडा पड़ जाता है और अभियुक्त साफ बच जाता है, उसको आजन्म कैद की सजा भी नहीं मिलती।

हमने यह भी देखा है कि एक एक आदमी कई-कई कत्ल कर देता है, फिर भी हम कहते हैं कि उसे क्यों मृत्यु दंड दिया जाये। इस प्रकार लोग सम्यता की भावना में भ्रम

[श्री जांगड़े]

हमारे समाज पर असम्यता लाद रहे हैं। यदि यही क्रम जारी रहा तो हम अपने देश में अमन और शान्ति कायम नहीं कर सकेंगे। हम देखते हैं कि आज दंडविधान में सुधार की भावना के कारण देश में अराजकता फैल रही है और फैलायी जाती है। कानून बहुत ढीला है। अदालतें आदर्शवादी हो रही हैं। बचाव पक्ष बहुत मजबूत हो रहा है और हमने बेखा है कि जनमत भी कभी-कभी अपराधियों के प्रति दयावान हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस बेचारे ने अगर अपराध किया है तो किसी परिस्थिति वश किया है, क्यों न इसको छोड़ दिया जाये। आज ऐसी भावना लोगों के मन में बैठ गयी है। जिन लोगों का ध्येय कोई न कोई अपराध करना होता है वे जनता की इस मनोवृत्ति का नाजायज लाभ उठाते हैं और कानून से डरते नहीं हैं। वे जानबूझ कर अपराध करते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को लोगों में यह भावना नहीं फैलानी चाहिए कि चूंकि अब भारत आजाद हो गया है इसलिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर यह मृत्युदंड लादा था उसको हटा दिया जाये। यह बात लाभ कर नहीं होगी। आज हम तमाम चीजों को एबालिश करते जा रहे हैं। विहिपिंग एबालिश (बैंत मारने का दंड बंद) कर दिया गया। अब लोगों के दिमाग में यह बात भी आने लगी कि क्यों न कैपीटल पनिशमेंट को भी खत्म कर दिया जाये। आज आवश्यकता तो और चीजों को लाने की है, एबालिश करने की नहीं है। पर मैं और चीजों के लाने की नहीं कहता। लेकिन मैं इस मृत्यु दंड को हटाने के पक्ष में नहीं हूँ। हमारे देश विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न विचार वाले लोगों का देश है, यह एक उपमहाद्वीप है। हमारे इतने बड़े ३६ करोड़ के देश में इस कैपीटल पनिशमेंट का उपयोग बहुत ही कम होता है। लाखों कैसेज में से एक दो में इसका उपयोग होता है। मैं आपको इसका नमूना बतलाऊँ। हम अपने राज्य में अखबारों में देखते हैं कि साल में

एक या दो आदमी को कैपीटल पनिशमेंट दी जाती है और वह भी बाद में माफ हो जाती है। यदि ३६ करोड़ की आबादी में साल में छह आदमियों को कैपीटल पनिशमेंट हो भी जाये तो उसका असर यह होता है कि लोगों में भय का संचार होता है और इस भय के कारण वे लोग जो कि कोई जघन्य अपराध करने का इरादा रखते हैं उससे पीछे हट जाते हैं, और इस कारण केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अमन और व्यवस्था तथा शान्ति कायम रखने में बहुत सुविधा होती है। हम इस भय संचार के लिए इस सजा का अपने स्टेट्यूट बुक (संविधि पुस्तक) में रहना पसन्द करते हैं ताकि हमारे देश में अमन और शान्ति कायम रह सके, ताकि देश में हजारों लोगों को कतिपय लोगों के भय से मुक्त रखा जा सके। चाहे हमको लोग असम्य कहें कि हम मृत्यु दंड को नहीं हटाते, तो भी मैं यह पसन्द नहीं करूँगा कि इसको इस देश से हटा दिया जाये क्योंकि इस सजा के रहने से हम बड़ी संख्या में लोगों को कतिपय अपराधियों के अत्याचार से बचा सकते हैं।

इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य इस बिल को वापस ले लें। जिस प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजा जा रहा है मैं देखता हूँ कि उस समिति के सदस्यों को कानून का अर्थ भी नहीं आता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** वह प्रवर समिति तो दूसरे बिल के लिए है। इस बिल के लिए कोई प्रवर समिति नहीं है।

**श्री जांगड़े :** माफ कीजिये।

हमारी संसद् देश की प्रतिनिधि संस्था है और देशवासियों के हितों की रक्षा करती है और लोगों के हित में काम करती है। हम एक आदमी को बचाने के लिए हजारों आदमियों को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये और कैपीटल पनिशमेंट को रहने दिया जाये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : माननीय सदस्य ने जो विषय सभा के सामने इस समय उपस्थित किया है वह बहुत ही गम्भीर और विचार करने लायक विषय है। यह विषय ऐसा नहीं है कि जिस पर हम आसानी से अपने विचार कायम कर सकें और जल्दी से अपने दंड विधान में संशोधन कर लें। लेकिन यह विषय ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में यह कहा जाये कि यह विचारणीय विषय नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, बहुत से दूसरे देशों ने इसके सम्बन्ध में निर्णय भी किया है, बहुत से देश इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार भी कर रहे हैं और इसके सम्बन्ध में भागे कार्रवाई करने के लिए लोकमत को भी तैयार कर रहे हैं।

अगर हम विभिन्न देशों की दंड प्रणाली का अध्ययन करें तो हमको स्पष्ट मालूम होगा कि जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता का विकास होता गया है, जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार होता गया है, जैसे-जैसे दंड प्रणाली में परिवर्तन होता गया है और उस परिवर्तन का क्रम ऐसा मालूम होता है कि आरम्भ में मानव जाति ने जो दंड प्रदान का तरीका अस्तित्व किया था उसमें धीरे-धीरे सुधार होता गया है। जहां तक मेरा विचार है दंड देने के पीछे तीन प्रकार के विचार रहे हैं। एक विचार तो बदला लेने का है, अर्थात् यदि किसी ने उस समय के कानून के खिलाफ, या समाज के खिलाफ या किसी व्यक्ति खिलाफ काम किया तो समाज के मन में यह भावना होती थी कि उससे उसका बदला लेना चाहिए। दूसरा विचार दंड देने के पीछे यह रहा है कि ऐसा दंड दिया जाये कि जिसके भय से भागे कोई समाज विरोधी कार्य न करे। और तीसरा विचार दंड देने के पीछे यह रहा है कि जो श्राद्धी समाज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करता है तो वह ऐसा दूषित मनोवृत्ति के कारण करता है, और इसको एक प्रकार की बीमारी समझा जाता है जोकि समाज

के वातावरण के कारण उसमें पैदा हो गयी है और उसके बंध होकर उसने वह अपराध किया है, इसलिए उसका सुधार होना चाहिए। यह तीन प्रकार की भावनाएं हैं। जैसे-जैसे मानव समाज सभ्यता की दिशा में भागे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे यह जो हमने तीन बातें सुधार की कही हैं, अपराध शास्त्र में सुधार के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है और यह माना जाने लगा है कि मनुष्य जो कुछ अपराध करता है, चाहे किसी प्रकार का अपराध करता हो, वह न केवल एक व्यक्तिगत बीमारी है बल्कि उसमें समाज की उस समय की जो स्थिति होती है उस समय की जो व्यवस्था होती है, उस समय की जो आर्थिक नीति होती है या उस समय समाज का जैसा संगठन रहता है उस सबका असर जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका असर उस पर होता है। वैसे तो हमारे दंड विधान में बहुत सी दंड की व्यवस्थाएं हैं और उनमें इस समय जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस विधेयक के उद्देश्य में बतलाया गया है कि कुछ ही दिन पहले इस सभा ने देश में से कोड़ेबाजी के दंड को उठा दिया। मैं यह मानता हूँ कि कोड़ेबाजी का दंड वर्तमान अवस्था में उचित नहीं है लेकिन अगर विचार किया जाय तो आपको मालूम हो जायगा कि कोड़ेबाजी की सजा ऐसे-एसे अपराधों के लिये रखी गई है जो कि बहुत भयंकर हैं और जिनको कि रोकना बहुत जरूरी है और अगर उन अपराधों को हम न रोकें और अपराधियों को हम यह कठोर दंड न दें जिससे कि भविष्य में लोगों में डर पैदा हो जाय और ऐसे अपराध फिर न हों, तो समाज में अनाचार फैल सकता है, फिर भी हमारी संसद् न कोड़ेबाजी के विषय पर विचार किया और उसने यह राय प्रकट की आज की हमारी वर्तमान अवस्था में कोड़ेबाजी की सजा अनावश्यक है। हम जिस अपराध के लिए बेलों की सजा देते हैं उसी अपराध को हम दूसरे तरीके से बंद कर सकते हैं और रोक सकते हैं और ऐसे लोगों के मनोभाव को शुद्ध कर सकते हैं और

[श्री श्रीनारायण दास]

सुधार सकते हैं जो किसी कारणवश और किसी उत्तेजनावश ऐसा अपराध कर बैठते हैं और जिसके लिए उनको बेंतों की सजा दी जानी चाहिए।

इसी आधार पर मैं यह समझता हूँ कि हम इस विषय पर विचार करना चाहिए। आज देश की जो वर्तमान अवस्था है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है और जिस तरीके का शिक्षा का प्रचार अभी तक हमारे देश में हुआ है उसको देखते हुए मैं यह तो तत्काल नहीं कह सकता कि इस कैपिटल पनिशमेंट (मृत्युदंड) को उठा लिया जाये। यह ठीक है कि हमारा एक सम्य समाज है लेकिन वह सम्यता की जो ज्योति है उसको हम अपने करोड़ों भाइयों तक नहीं पहुंचा सके हैं और चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक न्याय की स्थापना का सवाल है, उसमें हमने अभी थोड़ा सा कदम बढ़ाया है और इसलिए आज की अवस्था में मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह जो मृत्यु दंड है इसको हटा दिया जाय, लेकिन साथ ही मैं यह समझता हूँ कि अब समय आ गया है जब हम लोग जो इस संसद् में बैठे हैं और जो दूसरे देश के नागरिक हैं जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं और एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उन सब के लिए वह समय अवश्य उपयुक्त है कि इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मैं चाहता था कि एक प्रस्ताव के रूप में इस पर विचार होता, एक कमिशन (आयोग) की नियुक्ति होती और एक कमेटी बनाई जाती जिसमें अपराध शास्त्र को जानने वाले या जिनको इस बात का कुछ अनुभव प्राप्त है और जो जेलों के प्रबन्धक रहे हैं और जिनको अपनी जिन्दगी में अनुभव है कि अपराध करके एक अपराधी जेल में कैसे जीवन व्यतीत करता है, उसकी कैसी मनोदशा होती है और कैसे उसमें सुधार होता है और जिनको कि हम आजीवन कारावास का दंड देते हैं उन लोगों का या जो जेल से सजा काट कर

बाहर निकलते हैं उनका किस तरह का भाव होता है, जिन लोगों ने इन सब बातों का अध्ययन किया है, ऐसे लोगों का अगर एक कमिशन नियुक्त किया जाता और अन्य समाज सुधारकों की भी राय ली जाती तो मैं समझता हूँ कि वह उचित होता।

अभी जो विधेयक हमारे माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन तो नहीं करता लेकिन साथ ही उसके मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देखें कि आया हम अपने देश की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में इस मृत्यु दंड को दूर कर सकते हैं या नहीं। यह सम्य समाज के लिए एक चुनौती के समान है क्योंकि एक तरफ एक व्यक्ति की हत्या हो, अब हत्या करने क समय उसकी क्या मनोदशा होती है, मैंने तो उसका अध्ययन नहीं किया है लेकिन देश के अन्दर जितनी हत्याएं होती हैं और उस सम्बन्ध में न्यायालयों के जो फंसले आदि से अंत तक होते हैं उन तमाम फंसलों का अगर अध्ययन किया जाय तो मैं समझता हूँ कि इस बात का पता अवश्य लग जायगा कि जिन मनुष्यों को हत्या करने के अपराध में दंड दिया गया, उनमें से कितने ही ऐसे थे जो कि निरपराध थे और जिन्होंने कि हत्या वास्तव में नहीं की थी और यह किस को नहीं मालूम है कि अदालतों में किस तरीके से गलत-सलत गवाहियां देकर पुलिस उन व्यक्तियों को उन हत्याओं के लिए जिम्मेदार साबित कर देती है और न्यायालयों द्वारा उन बेचारों को सजा दे दी जाती है। खून के मामले में किस को पता नहीं है कि किस तरह से पुलिस लोगों को फंसा लेती है और झूठी गवाहियां अदालत में पेश करके सजा दिलवाने में कामयाब हो जाती है। आखिर जो व्यक्ति खून करने वाला है और जो उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए पुलिस बुलाती है वे दोनों उसी एक समाज के तो अंग हैं। इसलिए हमारे लिए यह विचार करने की बात है कि आज की वर्तमान अवस्था में क्या

यह मृत्यु दंड कायम रखना हमारे वास्ते उचित होगा। अगर किसी आदमी ने हत्या की तो उसके बदले में उसकी जान ले ली जाय यह सम्य समाज के लिए दरअसल एक चुनौती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा सामाजिक संगठन है, हमने जो पुलिस कायम की है, हमने जो न्यायालय कायम किये हैं या हमारे देश के अन्दर जो गवाही देने का सिस्टम है, और जिस प्रकार की आई विटनेस और सरकमस्टाशियल एविडेंस होती है, क्या दरअसल में वह आदर्श चीजें हैं और न्यायालयों में जो इस सम्बन्ध में फैसले होते हैं क्या वे सोलह आने सही होते हैं? ऐसे-ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें बावजूद इस बात के कि किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध में फांसी दे दी गई और बाद में पता चला है कि वास्तव में वह हत्या करने वाला नहीं था। इसलिए ऐसी अवस्था में यह जरूर विचार करने की चीज है कि जो व्यक्ति हत्या करता है वह क्या किसी उत्तेजनावश में आकर हत्या कर सकता है या तो किसी के प्रलोभन देने पर वह ऐसा अपराध कर बैठता है और इन या और दूसरी अवस्थाओं में उसमें हत्या करने की भावना पैदा होती है, अवश्य ही वह निन्दा करने की चीज है लेकिन एक व्यक्ति विशेष के मन में क्यों इस तरह की भावना पैदा होती है और ध्याय उस व्यक्ति विशेष में कोई ऐसी इन्हैरेंट (निहित) छिपी हुई चीज नहीं है या उसके लिए समाज भी कुछ हद तक उत्तरदायी है, यह विचार करने की चीज है, यह हमारे लिए और आज के सम्य समाज के लिए अवश्य एक चुनौती है और अगर यह सब चुनौती है तो उसको हमें विभिन्न स्तर पर लोकमत को साथ में लेकर और जो उस दंड शास्त्र के ज्ञाता हैं, अपराध शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया है, उन लोगों की राय इस सम्बन्ध में ली जाय। वैसे अन्तिम निर्णय इस बारे में करने का अधिकार तो हमारी इसी संसद् को है लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में राय लेने के लिए यह उपयुक्त समय है। मैं माननीय सदस्य को ब्यववाद देता हूँ कि उन्होंने इस

संसद् का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट किया और मैं सरकार से अनुरोध कर्हंगा कि सरकार एक कमिशन बैठा करके इसके पक्ष में और विपक्ष में लोकमत का क्या खयाल है यह जानने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में इस तरह का एक कमिशन नियुक्त हो और वह इस विषय के तमाम पहलुओं पर हर दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से मनोविज्ञान की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से और यह चीज ध्यान में रख कर कि किस तरह का हमारा पुलिस का संगठन है और न्यायालयों में किस तरह का न्याय होता है, उन सब बातों को ध्यान में रख कर विचार करे कि इस सम्बन्ध में क्या करना उचित है। इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए जरूर एक चुनौती है और उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और उस विषय में अध्ययन करने के लिए और छानबीन करने के लिए इस बिल को पास करने के बजाय अगर सरकार एक कमिशन नियुक्त करे जो इस बारे में सब जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट संसद् के सामने पेश करे तो अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को अभी पास करने के लिए तो समर्थन नहीं करता लेकिन मैं यह सुझाव दूंगा और भुझे मौका रहता तो मैं यह संशोधन देता कि इसको लोकमत जानने के लिए भेजा जाय।

**Mr. Deputy-Speaker:** One amendment has been received from Shri Raghuraj Sahai but it was handed over only at 5.25. So, it is late and I cannot accept and entertain it unless the Government is prepared to accept it. May I know the reaction of the hon. Minister? The amendment is that the Bill be circulated for purposes of eliciting public opinion thereon by the 1st December, 1956. I want to know whether the Government accepts that.

6 P.M.

**The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas):** I do not know



[Shri Biswas]

if I should speak now, because it is already six o'clock.

**Mr. Deputy-Speaker:** I only wanted to know whether the Government is going to accept this amendment.

**Shri Biswas:** What I suggest is this. As a matter of fact, Government consulted the States and we have got the opinions of the different States. Most of them are against this proposal. Now, the House has got to consider, and the Government have also to consider, whether having regard to that it would be worthwhile circulating it for opinion generally, not merely to the States—that has been done—but to the different High Courts, to the other different bodies and so on. I would in this connection suggest this. The Law Commission is sitting. The Law Commission has been approached.....

**Mr. Deputy-Speaker:** At this moment I only want to know whether the Government is prepared to accept this amendment.

**Shri Biswas:** I should not accept the amendment in that form.

**Mr. Deputy-Speaker:** Then it is too late; I cannot entertain it.

**Shri M. L. Agrawal:** Would acceptance by the Government mean acceptance of the motion for circulation or that it may be discussed in the House?

**Mr. Deputy-Speaker:** It would only mean acceptance; nothing more.

**Shri M. L. Agrawal:** I think there is no harm if this amendment is also discussed by this House.

**Mr. Deputy-Speaker:** We will see whether it can be entertained for the next day. So far as today is concerned.....

**Shri Raghbir Sahai (Etah Dist North-East cum Budaun Dist.-East):** I have given notice today.

**Mr. Deputy-Speaker:** That would be considered separately. It won't be discussed today. When it will come up next time, then we will see whether it can be discussed at that time

6.03 P.M.

*The Lok Sabha then adjourned at Eleven of the Clock on Saturday, the 25th August, 1956.*